I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB HISAR **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0018 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 18/12/2019 13:03 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	218
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	466
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
11	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2015 **Date To (दिनांक तक):** 31/03/2019

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 09:00 hrs **Time To (समय तक):** 17:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/12/2019 **Time (समय):** 10:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date and Time (दिनांक और समय):** 18/12/2019 11:17 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-WEST, 210 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): हिसार,फतेहाबाद,भिवानी,सिरसा,च दादरी

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** मनजीत निरीक्षक

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1984 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB Hisar, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB Hisar, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अनिल कुमार तत्कालीन उप निदेशक अनुसुचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा चण्डीगढ			1. चण्डीगढ, CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
2	राजिन्द्र तत्कालीन उप निदेशक अनुसुचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा चण्डीगढ			1. चण्डीगढ, CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
3	बलवान सिहं सेवानिवृत		Father's Name: मुन्शी राम	1. HN 111 आजाद नगर हिसार,HISAR,HARYANA,INDIA
4	विनोद चावला जिला कल्याण विभाग भिवानी			1. कल्याण विभाग पचंकुला,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
5	सुरेश कुमार तत्कालीन जिला कल्याण विभाग भिवानी			1. हाल कल्याण विभाग नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
6	बिलेन्द्र सिहं सहायक अनुसुचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा चण्डीगढ			1. कल्याण विभाग हरियाणा चण्डीगढ, CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
7	सुरेन्द्र कुमार लेखाकार कम लिपिक जिला कल्याण विभाग अधिकारी सोनीपत			1. विभाग अधिकारी सोनीपत,SONIPAT,HARYANA,INDIA
8	तेजपाल		Father's Name: तुलसी राम शर्मा	1. खरकखुर्द,BHIWANI,HARYANA,INDIA
9	अरविन्द सांगवान		Father's Name: चान्दी राम	1. HN 459 अर्बन अस्टेट-2 हिसार,HISAR,HARYANA,INDIA
10	राजकुमार		Father's Name: वेदप्रकाश	1. 1279/1,बाल्मिकी बस्ती हनुमान गेट,भिवानीBHIWANI,HARYANA,INDIA
11	अशोक कुमार		Father's Name: जगदीश	1. 301,स्टेशन रोड नेहरु कलोनी भिवानी,BHIWANI,HARYANA,INDIA
12	सुनील कुमार		Father's Name: कर्मबीर	1. जेवली,BHIWANI,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे,प्रबंधक थाना, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल हिसार। श्रीमान जी, निवेदन है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0(1) दिंनाक 07.06.2019 की अनुपालना मे जांच क्रमांक 07 दिंनाक 10.06.2019 पंचकुला दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 9625/आई0-1/रा0चौ0ब्यूरो, दिंनाक 13.06.2019 अनुसार पडताल हेतू प्राप्त हुई थी जिसकी जांच श्री सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, व स03030नि0 राजेन्द्र कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला द्वारा की गई थी। जांच मे मुख्य आरोप यह था कि वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19 मे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अनुसार अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग के छात्रो को छात्रवृति देने के लिए जिला कल्याण अधिकारीयो द्वारा सम्बन्धित जिलो के शिक्षा संस्थानो तथा मुख्यालय पर नियुक्त अधिकारीयो/कर्मचारीयो से मिलीभगत करके असल हकदार छात्रो को छात्रवृति ना देकर उनके आधार न0 व खाता न0 बदलकर अपने जानकार लोगो के बैंक खातो मे छात्रवृति की राशि डालकर सरकार की करोडो रुपये की राशि कां गबन किया है। आरोप की जांच के दौरान पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई 1981 मे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम चलाई गई थी। स्कीम की अन्तर्गत मैट्रिकोतर कक्षाओं में पढने वाले अनूसुचित जाति के छात्रों को 230 से 1200 रुपये प्रति मास तक छात्रवृति तथा Non-Refundable फीस दी जाती है। इसी प्रकार पिछडे वर्ग के छात्रों को 160 रुपये से 750 रुपये तक प्रति माह छात्रवृति तथा Non-Refundable फीस दी जाती है और वर्ष 2017-18 से टयूशन फीस का 25 प्रतिशत या 5,000/-रूपये से जो भी कम है, दिया जाता है। यह स्कीम वर्ष 2015 ये पहले मैन्यूअल चलाई जा रही थी। वर्ष 2015-16 मे यह स्कीम ऑन लाईन चलाई गई। जिसके लिए ट्रिगमा कम्पनी द्वारा साफटवेयर बनाया गया था जिसके साथ विभाग द्वारा अनुबंध किया गया था वर्ष 2017 में ट्रिगमा कम्पनी का अनुबंध खत्म होने पर HKCL कम्पनी से इस कार्य के लिए अनुबंध किया गया। जिसके अनुसार छात्र को कम्पनी द्वारा बनाए गए पोर्टल पर अपना यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनाकर अपना आवेदन करना होता है तथा विभाग द्वारा जारी शर्ते पूरी करनी होती है। उसके उपरान्त छात्र द्वारा अपना आवेदन सम्बन्धित संस्थान के पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद संस्थान छात्र के आवेदन की जांच करने उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर अग्रेषित कर देते है। हरियाणा राज्य से बाहर पढने वाले छात्र अपना आवेदन पोर्टल पर भरकर जिला कल्याण अधिकारी को अग्रेषित करते है। जिला कल्याण अधिकारी सम्बन्धित संस्थानों से व राज्य से बाहर पढने वाले छात्रो से प्राप्त आवेदनों की तसदीक उपरान्त निदेशक, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग को छात्रवृति मन्जूर करने के लिए अपना प्रमाण पत्र लगाकर सिफारिस ऑन लाईन भेजता है, जिस पर निदेशक कार्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा जिला कल्याण अधिकारियों से प्राप्त सिफारिस के आधार पर नोटिंग पर केस तैयार करके अतिरिक्त मुख्य सचिव से राशि की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। उसके बाद सम्बन्धित सहायक स्वीकृति अनुसार कम्पयूटर पर मैन्यूअली छात्रों की सूचि तैयार करता है, जिसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, कोर्स का नाम, संस्थान का नाम, आधार न0, बैंक खाता न0 व शैक्षणिक सत्र लिखकर शाखा के अधीक्षक व उप निदेशक के माध्यम से बिल तैयार करके डी0डी0ओ0 को पास करवाने हेतू भेजा जाता है। जिस पर डी0डी0औ0 बिल तैयार करके खजाना कार्यालय से पास करवाने उपरान्त प्रशिक्षण शाखा से प्राप्त एक्सल फाईल अनुसार XML फाईल तैयार करते है। XML फाईल तैयार होने उपरान्त डी0डी0औ0 के डिजिटल हस्ताक्षर करके सम्बन्धित बैकं में छात्रों के खातों में राशि ट्रान्सफर करने बारे भेज दी जाती है। जो फाईल बैंक मे भेजी जाती है, उसमें छात्र का नाम व आधार न0 तथा राशि व विभाग का खाता न0 जिससे राशि ट्रान्सफर की जानी है उस खाता का न0 भी बैंक को लिखा जाता है। बैंक द्वारा यह राशि उन खातों में ट्रान्सफर की जाती है जो खाते आधार से नवीनतम लिंक होते है। अगर कोई खाता आधार से लिंक नही होता तो उसकी राशि का बैंक ड्राफट बनाकर विभाग को भेज दिया जाता है और लिख दिया जाता है, कि राशि किस कारण सम्बन्धित खाता में नही गई। जो ड्राफट बैंक से डी0डी0ओ0 शाखा में प्राप्त होते है डी0डी0ओ0 उनका विवरण प्रशिक्षण शाखा को लिखकर भेजते है कि इन छात्रों की राशि उनके खातों में ट्रान्सफर ना होने बारे बैंक द्वारा जो त्रुटिया लगाई गई है उनको ठीक करके भेजा जाए ताकि बैंक को दौबारा XML फाईल तैयार करके भेजी जा सके और सम्बन्धित छात्र के खाता मे राशि ट्रान्सफर कराई जा सके। जिस पर प्रशिक्षण शाखा सम्बन्धित कल्याण अधिकारियों को पत्र लिखकर लगाई त्रुटिया ठीक करवाते है। पडताल पर पाया गया कि तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी, अरविन्द सांगवान पुत्र श्री चान्दी राम, निवासी मकान न0 459, अर्बन अस्टेट-2, हिसार, राजकुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी म0न0 1279/1, बाल्मिकी बस्ती, हनुमान गेट, भिवानी, अशोक कुमार पुत्र जगदीश निवासी म0न0 301, स्टेशन रोड़, नेहरू कलोनी, भिवानी व सुनील कुमार पुत्र कर्मबीर निवासी गांव जेवली, थाना बाढडा, जिला भिवानी द्वारा वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 मे जिला फतेहाबाद के अलग-2 गांव से अनुसूचित जाति के छात्रो को वी0एल0डी0ए0 व एम0पी0एच0डब्लयू0 का डिप्लोमा फ्री मे घर बैठे करवाने व छात्रवृति दिलवाने का लालच देकर कुछ छात्रो व संस्थाओ के माध्यमसे अलग-2 गांव से अनुसूचित जाति छात्रो के फार्म भरवाकर उनके आधार कार्डो, मूल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वगैरा की फोटो प्रतिया हासिल करके कुछ छात्रो के सर्व हरियाणा बैंक जिला फतेहाबाद मे अलग-2 कस्बो मे बैंक खाते फर्जी तरीके से खुलवाकर 493 छात्रो के दाखिले श्री वैंक्टेशवरा विश्वविद्यालय, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, आदेश विश्वविद्यालय बठिण्डा, पंजाब, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जलन्धर, पंजाब, श्री सत्या साई विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश, अकाल विश्वविद्यालय तलवन्डी साबो, पंजाब, आर0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय मण्डी गोबिन्दगढ, पंजाब, सन्त बाबा भाग सिहविश्वविद्यालय जलन्धर, पंजाब, देश भगत विश्वविद्यालय मण्डी गोबिन्दगढ, पंजाब, सनराईस विश्वविद्यालय अलबर, राजस्थान, खालसा कालेज अमृतसर, पंजाब, खालसा विश्वविद्यालय अमृतसर, पंजाब, जी0एन0ए0 विश्वविद्यालय फगबाडा, सिटी विश्वविद्यालय लुधियाना, पंजाब, मोनार्ड विश्वविद्यालय, जिला हापुड, उत्तर प्रदेश इन विश्वविद्यालयो मे दिंखाकर छात्रवृति के लिए जिला कल्याण अधिकारी फतेहाबाद के पोर्टल पर आवेदन भेजे गए। जिन बारे उक्त संस्थानो को मेल के माध्यम से छात्रो की तसदीक कराई गई। सभी संस्थानो ने मेल के माध्यम से सूचित किया कि उल्लेखित छात्र उनके संस्थानो मे किसी भी कोर्स मे पंजीकृत नही है और ना ही उनके संस्थानो मे एम0पी0एच0डब्लयू0 व वी0एल0डी0ए0 का कोर्स करवाया जाता। संस्थानो द्वारा भेजी गई मेल कथन फाईल के पेज न0 33 से 89 पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति की राशि 5,48,13,040/-रूपये होनी पाई गई है। इन सभी छात्रो के आवेदन तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी, अरविन्द सांगवान पुत्र श्री चान्दी राम, निवासी मकान न0 459, अर्बन अस्टेट-2, हिसार, राजकुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी म0न0 1279/1, बाल्मिकी बस्ती, हनुमान गेट, भिवानी, अशोक कुमार पुत्र जगदीश निवासी म0न0 301, स्टेशन रोड़, नेहरू कलोनी, भिवानी व सुनील कुमार पुत्र कर्मबीर निवासी गांव जेवली, थाना बाढडा, जिला भिवानी द्वारा अनिल कुमार उप निदेशक व राजेन्द्र सिह सांगवान उप निदेशक से मिलीभगत करके बलवान सिह जिला कल्याण, अधिकारी उपरोक्त सभी आवेदनो की बिना जांच करवाए सिफारिस करवाई जानी पाई गई है। जबकि उपरोक्त विश्वविद्यालयो/कालेजो द्वारा मेल के माध्यम से सूचित किया कि उनके संस्थानो मे ना तो उपरोक्त कोर्स करवाए जाते और सूचियो मे दर्शाये गए छात्रो द्वारा कभी उनके संस्थानो मे उपरोक्त कोर्सो के लिए दाखिले नही लिए है। निदेशालय

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

अनुसूचित जातिया एव पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश पत्र क्रमांक शिक्षा-1/2015/13951-76 दिंनाक 10.07.2015 के अनुसार श्री बलबान सिह, जिला कल्याण अधिकारी फतेहाबाद द्वारा उपरोक्त आवेदनो की सही तसदीक किए बिना फर्जी छात्रो के छात्रवृति आवेदन पत्र मुख्यालय को अग्रेषित कर दिए। अतः श्री बलबान सिह ने उपरोक्त व्यक्तियो से मिलीभगत करके सरकारी पैसे का गबन किया है। इसके अतिरिक्त 52 छात्रो की तसदीक नही की जा सकी जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 603 से 675 पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी तसदीक तफतीश के दौरान कर ली जाए। डाटा विशलेषण रिपोर्ट से पाया गया कि जिला फतेहाबाद मे वर्ष 2015-16 मे 314 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 35 से 59 अनुलग्न बी0 व सी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 1,32,31,990/-रूपये बनती है तथा वर्ष 2016-17 मे 517 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 69 से 93 अनुलग्न बी0 व सी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 2,31,90,525/-रूपये बनती है।, वर्ष 2017-18 मे 748 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 103 से 145 अनुलग्न सी0 व बी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 3,52,80,500/-रूपये बनती है। इस प्रकार कुल 7,17,03,015/-रूपये की राशि जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे दर्शाये गए खाता नम्बरो व नामो मे ना ट्रान्सफर होकर अन्य खातो मे बैंक की रिस्पौन्स फाईल अनुसार ट्रान्सफर होनी पाई गई है। इस राशि के गबन होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। इसी प्रकार जिला भिवानी से सम्बन्धित 36 छात्रो के दाखिले वर्ष 2017-18 मे अलग-2 कोर्सो मे डा0 एस0एन0 प्राईवेट, आई0टी0आई0 बागपत, उतर प्रदेश मे दिखाकर इन सभी के छात्रवृति आवेदन जिला कल्याण अधिकारी भिवानी के पोर्टल पर आँन लाईन भेजे गए। जबकि उक्त संस्थान द्वारा मेल के माध्यम से सूचित किया कि मे दर्शाये गए छात्रो द्वारा उनके संस्थान मे कभी भी किसी भी कोर्स/ट्रेड के लिए दाखिला नही लिया गया। जिनकी मेल कथन फाईल के पेज न0 91 पर लगी देखी जा सकती है। उक्त 36 छात्रो की छात्रवृति राशि कुल 6,96,360/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया है। निदेशालय अनुसूचित जातिया एव पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश पत्र क्रमांक शिक्षा-1/2015/13951-76 दिंनाक 10.07.2015 के अनुसार श्री विनोद चावला व सुरेश कुमार, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी भिवानी द्वारा क्रमशः 20 व 16 आवेदनो की सही तसदीक किए बिना फर्जी छात्रो के छात्रवृति आवेदन पत्र मुख्यालय को अग्रेषित कर दिए। अतः श्री विनोद चावला व सुरेश कुमार, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी भिवानी ने उपरोक्त व्यक्तियो से मिलीभगत करके सरकारी पैसे का गबन किया है। इसके अतिरिक्त रोहिला प्रा0 आई0टी0आई0 बागपत, उतर प्रदेश, बोस्टन संस्थान आफ नर्सिग, मुरैना, मध्य प्रदेश की सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 683 से 691 पर लगी देखी जा सकती है। जिनके कुल 12 छात्रो बारे सम्बन्धित संस्थानो द्वारा बार-2 मेल करने पर भी कोई उतर नही दिया गया। जिन बारे भी अनुसंधान के दौरान तसदीक कर लिया जाए। इसी प्रकार जिला भिवानी मे वर्ष 2015-16 मे 290 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 185 से 213 अनुलग्न बी0 व सी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 1,10,81,495/-रूपये बनती है। वर्ष 2016-17 मे 227 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 223 से 243 अनुलग्न बी0 व सी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 99,57,167/-रूपये बनती है। वर्ष 2017-18 मे 290 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 249 से 273 अनुलग्ंन बी0 व सी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 1,24,26,495/-रूपये बनती है। इस प्रकार कुल 3,34,65,154/-रूपये की राशि जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे दर्शाये गए खाता नम्बरो व नामो मे ना ट्रान्सफर होकर अन्य खातो मे बैंक की रिस्पौन्स फाईल अनुसार ट्रान्सफर होनी पाई गई है। इस राशि के गबन होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। इसी प्रकार जिला हिसार मे वर्ष 2015-16 मे 74 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 275 से 281 अनुलग्न बी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 21,34,650/-रूपये बनती है तथा वर्ष 2016-17 मे 501 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 287 से 327 अनुलग्न बी0 व सी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 1,56,16,795/-रूपये बनती है। वर्ष 2017-18 मे 671 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 349 से 447 अनुलग्न बी0 व सी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 2,85,97,237/-रूपये बनती है। वर्ष 2018-19 मे 21 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 449 से 457 अनुलग्ंन बी0 व सी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 6,89,700/-रूपये बनती है। इस प्रकार कुल 4,70,38,382/-रूपये की राशि जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे दर्शाये गए खाता नम्बरो व नामो मे ना ट्रान्सफर होकर अन्य खातो मे बैंक की रिस्पौन्स फाईल अनुसार ट्रान्सफर होनी पाई गई है। इस राशि के गबन होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। इस अतिरिक्त जय सिया कालेज आफ नर्सिग मध्य प्रदेश द्वारा 05 छात्रो बारे कोई उतर नही दिया जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 693-695 पर लगी देखी जा सकती है। जिन बारे भी तफतीश के दौरान तसदीक कर लिया जाए। इसी प्रकार जिला सिरसा मे वर्ष 2015-16 मे 120 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 459 से 471 अनुलग्न बी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 35,65,840/-रूपये बनती है। वर्ष 2016-17 मे 150 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 477 से 485 अनुलग्न बी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 33,60,790/-रूपये बनती है। वर्ष 2017-18 मे 280 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 487 से 509 अनुलग्न बी0 व सी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 93,06,522/-रूपये बनती है। इस प्रकार कुल 1,62,33,152/-रूपये की राशि जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे दर्शाये गए खाता नम्बरो व नामो मे ना ट्रान्सफर होकर अन्य खातो मे बैंक की रिस्पौन्स

फाईल अनुसार ट्रान्सफर होनी पाई गई है। इस राशि के गबन होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। इसी प्रकार जिला दादरी मे वर्ष 2017-18 मे 80 छात्रो के नाम व खाता न0 जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे तथा बैंक से प्राप्त रिस्पौन्स फाईल मे आपसे मे मिलने नही पाए गए। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 511 से 521 अनुलग्न बी0 व सी0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। जिनकी छात्रवृति राशि 32,17,870/-रूपये बनती है। इस प्रकार कुल 32,17,870/-रूपये की राशि जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भेजी गई सिफारिशो मे दर्शाये गए खाता नम्बरो व नामो मे ना ट्रान्सफर होकर अन्य खातो मे बैंक की रिस्पौन्स फाईल अनुसार ट्रान्सफर होनी पाई गई है। इस राशि के गबन होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। सम्बन्धित रिकार्ड/कम्पयूटर डाटा का विशलेषण करने उपरान्त कवर सिह, सिनियर प्रोग्रामर व अभिषेक सनन, सिनियर प्रोग्रामर राज्य चौकसी ब्यूरो, पंकचुला द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि जिला फतेहाबाद से वर्ष 2015-16, मे 02 छात्रो के नाम जिला कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृति के लिए मुख्यालय नही भेजे गए परन्तू सैक्शन ब्रान्च द्वारा इन दो छात्रो की 56,200/-रूपये छात्रवृति राशि स्वीकृत की गई। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 61-63 अनुलग्न ई0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। वर्ष 2016-17 मे लेखा शाखा ब्रान्च मे 17 छात्रो के आधार न0 बदलकर 17,45,120/-रूपये की राशि का गबन किया जाना पाया गया है। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 65-67 अनुलग्ंन ए0 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। तथा वर्ष 2017-18 मे 154 छात्रो के लेखा शाखा मे तथा 123 छात्रो के सैक्शन ब्रान्च मे कुल 277 छात्रो के आधार न0 बदलकर 3,06,16,300/- कुल राशि 3,23,67,040/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 147 से 153 अनुलग्ंन बी0 व सी0 व 159 से 179 के तौर पर लगी देखी जा सकती है। इसी प्रकार जिला भिवानी से सम्बन्धित वर्ष 2015-16 मे भेजी गई स्वीकृतियो मे दर्शाये गए छात्रो मे से 03 छात्रो के आधार न0 सैक्शन ब्रान्च मे तथा एक छात्र का आधार न0 लेखा शाखा मे कुल 04 छात्रो के आधार न0 बदलकर 1,95,920/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया है। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 215 से 221 अनुलग्न 2(ए) व 3 के तौर पर लगी देखी जा सकती है।जिला हिसार से सम्बन्धित वर्ष 2016-17 मे भेजी गई स्वीकृतियो मे दर्शाये गए छात्रो मे से एक छात्र का आधार न0 लेखा शाखा मे बदलकर 28,100/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया है। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 283-285 अनुलग्न 3(1ए) के तौर पर लगी देखी जा सकती है।विशलेषण रिपोर्ट व जांच से पाया गया कि जिला फतेहाबाद मे जिन 493 छात्रो के अलग-2 विश्वविद्यालय/शिक्षा संस्थानो मे फर्जी दाखिले दिखाकर व उनके अलग-2 बैंको मे गल्त तरीके से खाते खुलवाकर छात्रवृति के लिए आनलाईन आवेदन किए गए थे उनमे से 294 छात्रो के आधार न0 निदेशक, अनुसूचित जाति एंव पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय की सैक्शन ब्रान्च व लेखा शाखा ब्रान्च मे बदलकर 3,23,61,620/-रूपये, 75 छात्रो की 75,87,680/-रूपये तथा 02 छात्रो के 56,200/-रूपये के छात्रवृति आवेदन मुख्यालय पर दिखाकर कुल 4,00,05,500/-रूपये का गबन किया जाना पाया गया है जिनकी सूची प्रलेख फाईल के अनुलग्न 3(2)ई0 के पेज न0 61-63, 3(3)ए के पेज न0 65-67, 3(2)ए के पेज न0 147-153 व 3(3)ए के पेज न0 159-179 पर लगी देखी जा सकती है। उक्त 124 छात्रो की छात्रवृति राशि 1,48,63,940/-रूपये मुख्यालय द्वारा स्वीकृत नही की गई। जिनकी सूची प्रलेख फाईल के पेज न0 529 से 601 पर लगी देखी जा सकती है। पड़ताल से पाया गया कि जब पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम आंन लाईन चलाई गई तो विभाग के अधिकारियों द्वारा सुरेन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी, सोनीपत पुत्र श्री राजपाल, वासी गांव सिवाह, जिला पानीपत को समय-2 पर जिला सोनीपत से मुख्यालय पर बुलाकर इस स्कीम में काम करवाया गया। जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा भेजी गई सिफारिसों के आधार पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, कल्याण विभाग से छात्रवृति राशि की मन्जूरी मिलने उपरान्त Excel फाईल तैयार की जाती थी, जिसमें छात्रो के आधार न0 बदल दिये जाते थे। यह आधार न0 सुरिन्द्र कुमार को अनिल कुमार, उप निदेशक व बलिन्द्र सिह, सहायक द्वारा पैन ड्राईव में उपलब्ध करवाए जाते थे। राजिन्द्र सांगवान, अनिल कुमार उप निदेशक, बलिन्द्र सिह, सहायक व सुरिन्द्र सिह लेखाकार कम लिपिक ने मिलकर प्रशिक्षण शाखा में मैन्यूअल Excel फाईल तैयार करते समय छात्रों के आधार न0 बदल दिये और Excel फाईल बिल तैयार करने के लिए डी0डी0ओ0 शाखा में भिजवा दी। डी0डी0ओ0 द्वारा बिल बनाकर खजाना कार्यालय से बिल पास करवाने उपरान्त बैंक में भेजने के लिए XML फाईल तैयार करवाई गई जिसमे भी आधार न0 बदले जाने पाये गए है, क्योंकि छात्रों के उन खातों में राशि ट्रांसफर होनी थी, जो खाते आधार नम्बर से लिंक थे। पडताल पर पाया गया कि वर्ष 2015-16 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम आन-लाईन की गई थी, जिसमें छात्र अपना आवेदन आन-लाईन भरकर संस्थान को अग्रेसित करता है और संस्थान अपने सभी पात्र छात्रों के आवेदन तसदीक उपरान्त जिला कल्याण अधिकारी को आन-लाईन अग्रेसित करता है और जिला कल्याण अधिकारी उन आवेदनों की तसदीक करने उपरान्त अपनी सिफारिश सहित पोर्टल पर आन-लाईन मुख्यालय स्वीकृति के लिये भेजता है। मुख्यालय पर प्रशिक्षण शाखा में ऑन-लाईन सिफारिश प्राप्त होने पर जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा भेजी गई सिफारिशों का प्रिन्ट निकाल कर स्वीकृति प्राप्त की जाती है और उसके बाद सारा कार्य मैनुअल किया जाता है। इस सम्बन्ध में निदेशक, अनुसूचित जाति एंव पिछडा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा चण्डीगढ से पुछा गया था कि प्रशिक्षण शाखा से आगे की कार्यवाही मैनुअल करने के लिये किस अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी और इसके क्या कारण थे, परन्तु इस बारे कोई संतोष जनक उतर प्राप्त नही हुआ है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमे उच्च अधिकारीयो की सलिप्ता पाये जाने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। अनुसंधान के दौरान इस विषय पर गहनता से तफतीश/जांच की जाए। पडताल पर पाया गया कि वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 मे राज्य के बाहर के संस्थानो मे पढ रहे छात्रो के छात्रवृति आवेदन सम्बन्धित संस्थान तसदीक उपरान्त जिला कल्याण अधिकारीयो को अग्रेषित करते थे। वर्ष 2017-18 मे अनुसुचित जाति एव पिछडे वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारीयो द्वारा HKCL से साफटवेयर तैयार करवाया गया था जिसमे राज्य के बाहर पढने वाले छात्रो के लिए अधिकारीयो द्वारा अलग से एक प्रोर्फामा तैयार करके विभाग की साईट पर अपलोढ किया गया। जिसमे लिखा गया कि जो छात्र हरियाणा राज्य से बाहर के शिक्षण संस्थानो मे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वह छात्र उस संस्थान के संचालक/प्रिसिपल से प्रमाणिक प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करवाकर स्वंय अपना आवेदन अपनी यूजर आई0डी0 व पासवर्ड तैयार करके कल्याण विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेज अपलोड करके जिला कल्याण अधिकारी के पोर्टल पर अग्रेषित करेगा।नियम/प्रक्रिया मे यह बदलाव क्यों और किसके आदेश से किया गया इस पर अनुसंधान के दौरान जांच की जाए। उपरोक्त से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इसमे उच्च अधिकारीयो की सलिप्ता पाये जाने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता। पडताल पर पाया गया कि श्री बलबान सिह, सेवानिवृत जिला कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद, श्री विनोद चावला, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, भिवानी व श्री सुरेश कुमार तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, भिवानी द्वारा हरियाणा राज्य से बाहर के शिक्षा संस्थानो मे पढ रहे छात्रो के छात्रवृति आवेदन निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा जारी पत्र क्रमांक शिक्षा-1/2015/13951-76 दिंनाक 10.07.2015 की अनुपालना मे सम्बन्धित संस्थानो से पत्र मे वर्णित शर्तो की पालना करने उपरान्त ही छात्रवृति राशि मन्जूर करने के लिए निदेशालय भिजवाने चाहिए थे परन्तु उक्त द्वारा पत्र मे वर्णित शर्तो की पालना ना करके व सम्बन्धित संस्थानो से तसदीक ना करके छात्रवृति राशि मन्जूर करने के लिए निदेशालय भेजने पाए गए है। इसके अतिरिक्त जिला हिसार, सिरसा, व दादरी के जिला कल्याण अधिकारीयो द्वारा

निदेशालय को अग्रेषित छात्रवृति आवेदन पत्रो के बारे मे तफतीश के दौरान देख लिया जाए कि सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारीयो ने निदेशालय के उक्त पत्र दिंनाक 10.07.2015 के अनुसार सम्बन्धित संस्थानो मे छात्रो बारे तसदीक की थी या नही। निदेशालय द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रलेख फाईल के पेज 739-741 पर लगी देखी जा सकती है। उपरोक्त अनिल कुमार, उप निदेशक, राजिन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक हाल सेवानिवृत, बिलेन्द्र सिह, सहायक व सुरिन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत, श्री बलबान सिह, सेवानिवृत जिला कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद, श्री विनोद चावला, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, भिवानी व श्री सुरेश कुमार तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, भिवानी ने श्री अरविन्द सांगवान पुत्र श्री चान्दी राम, निवासी मकान न0 459, अर्बन अस्टेट-2, हिसार, श्री तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी, राजकुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी म0न0 1279/1, बाल्मिकी बस्ती, हनुमान गेट, भिवानी, अशोक कुमार पुत्र जगदीश निवासी नेहरू कलोनी, भिवानी, सुनील कुमार पुत्र कर्मबीर निवासी गांव जेवली, थाना बाढडा, जिला भिवानी से मिलीभगत करके आपराधिक षड़यन्त्र रचकर सरकार को अनुचित आर्थिक हानि पहुचाने के लिए स्वंय को अनूचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए अपने-2 सरकारी पदों का दुरूपयोग करके हरियाणा राज्य से बाहर के राज्यो के शिक्षा संस्थानो/विश्वविद्यालयो मे जिला फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा के रहने वाले अनुसूचित जाति के 529 छात्रो के वी0एल0डी0ए0 व एम0पी0एच0डब्लयू0 कोर्सो व अन्य कोर्सो मे फर्जी दाखिले दिखाकर छात्रवृति राशि लेने के लिए सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारीयो के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित किए गए। उक्त 529 छात्रो मे से 294 छात्रो की छात्रवृति राशि उनके खातो मे ट्रान्सफर करने से पहले प्रशिक्षण शाखा व डी0डी0औ0 शाखा मे तैयार की गई सूचियो मे आधार नम्बर बदलकर धोखाधड़ी करके फर्जी छात्रों के खातो मे जाने वाली छात्रवृति राशि लगभग 3,23,61,420/-रूपये तथा 02 छात्रो के नाम जिला कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद द्वारा नही भेजे गए परन्तु सैक्शन ब्रान्च द्वारा 02 छात्रो की छात्रवृति राशि 56,200/-रूपये स्वीकृत की गई तथा 75 फर्जी छात्रो की छात्रवृति राशि 75,87,680/-रूपये स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार जिला भिवानी से सम्बन्धित 04 पात्र छात्रो के आधार न0 बदलकर मिलने वाली छात्रवृति राशि 1,95,920/-रूपये तथा 36 छात्रो के डा0 एस0एन0 प्रा0 आई0टी0आई0 बागपत मे फर्जी दाखिले दिखाकर 6,96,360/-रूपये छात्रवृति राशि मन्जूर करवाई तथा जिला हिसार मे 01 छात्र का लेखा शाखा मे आधार न0 बदलकर 28,100/-रूपये की राशि स्वीकृत करके उपरोक्त द्वारा आपस मे मिलीभगत करके कुल 4,09,25,680/-रूपये की राशि का गबन किया जाना पाया गया है तथा 124 फर्जी छात्रो की छात्रवृति 1,48,63,940/-रूपये की राशि निदेशालय द्वारा स्वीकृति नही की गई। इसके अतिरिक्त जिला कल्याण अधिकारीयो द्वारा भेजी गई स्वीकृतियो मे दर्शाये गए नाम व बैंक खाते का रिस्पौन्स फाईल के साथ मिलान नही होना पाया गया है। जिस अनुसार उक्त पाचो जिलो मे 17,16,57,573/-रूपये की राशि अन्य खातो मे जानी पाई गई है। जिसके कारणो की तसदीक की जा रही है। तसदीक के अनुसार तथ्यो को प्रथम सुचना रिपोर्ट मे शामिल कर लिया जाएगा। अतः उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्व धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2) (अपराध होने के समय प्रचलित कानून) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित किये जाने की अनुशंसा की जाती है। जिला कल्याण अधिकारी दादरी, हिसार व सिरसा द्वारा संस्थानो के वगैर तसदीक किए छात्रवृति की सिफारिशे निदेशालय को भेजी गई है। जो एक गम्भीर त्रुटि है इस बारे मुकदमा मे सम्लिप्ता अथवा त्रुटि पर विभागीय जांच करने बाबत निर्णय लेने का अधिकार अनुसंधान अधिकारी पर छोड दिया गया है। इसके अलावा अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी/अथोरिटी की मिलीभगत पाई जाए तो उसके विरूद्ध भी अनुसंधान अधिकारी को कार्य किये जाने का सुझाव दिया जाता है। पडताल पर पाया गया कि जांच के दौरान सम्बन्धित छात्रो ने अपने कथनो मे अंकित करवाया कि श्रीमती संदीप कौर पत्नी रूपिन्द्र सिह, वासी भूना, ममता पत्नी रमेश वासी नैहला, पूजा पत्नी रघुवीर वासी नैहला, ज्योति पत्नी महावीर वासी जाण्डली कलां, भूप सिह पुत्र बंसत लाल वासी मंगाली आकलांन, जिला हिसार, शुभम पुत्र होशियार सिह वासी गांव उमरावत जिला भिवानी मनोहर पुत्र प्रभुराम वासी दौलतपुर सुरेन्द्र कुमार पुत्र आयाराम वासी खजुरी, महेन्द्र पुत्र ज्ञानी राम वासी खजुरी, राजेश कथूरिया व विकास अध्यापक, अपैक्श कालेज फतेहाबाद राकेश पुत्र कर्मबीर, सुरेन्द्र पुत्र सुरजभान व रवि कुमार पुत्र महावीर वासीयान गांव नैहला, जिला फतेहाबाद, सुखपाल पुत्र सन्तू राम व मनजीत पुत्र पालाराम वासीयान दारसूल कलां, जिला फतेहाबाद, श्याम सुन्दर पुत्र प्रताप सिहं वासी वार्ड0 न0 7, बरवाला, जिला हिसार द्वारा उनके अलग-2 कोर्सो के लिए फार्म भरवाए थे और कई अन्य फार्मो पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। अगर तफतीश के दौरान उपरोक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या अनुसूचित जातिया एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग के किसी उच्च अधिकारीयो/कर्मचारीयो,तथा सम्बन्धित शिक्षण संस्थानो की संलिप्तता पाई जाये तो उसे भी तफतीश के दौरान देख लिये जाने तथा जिन बैंको मे उपरोक्त सम्बन्धित 529 छात्र जिनके दुसरे राज्यो के शिक्षण संस्थानो मे फर्जी दाखिले दिखाकर छात्रवृति की राशि के लिए आवेदन किए गए थे तथा उनके खाते फर्जी तरीके से खुलवाए गए है तथा जिनके आधार न0 बदले गए है उन आधार नम्बरो से लिंक बैंक खाते खोलने बारे सम्बन्धित बैंको की भूमिका बारे भी देख लिए जाने का सुझाव दिया गया था। जिला हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद व चरखी दादरी से सम्बन्धित जांच की अन्तिम रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला की टिप्पणी सहित पत्र क्रमांक 18224/रा0चौ0ब्यू0(ह)दिंनाक 20.11.2019 द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार चौकसी विभाग को भेजी गई थी। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 38/08/19-3चौ0(1) दिनांक 12.12.2019 के अनुसार जांच मे दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारी व अन्य के विरूद्व उपरोक्त धाराओ के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने के आदेश महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 19240/ आई-1 दिंनाक 13.12.2019 के द्वारा प्राप्त हुए है अतः अनिल कुमार, उप निदेशक, राजिन्द्र सिंह सांगवान, उप निदेशक हाल सेवानिवृत, बिलेन्द्र सिह, सहायक व सुरिन्द्र कुमार, लेखाकार कम लिपिक, कार्यालय जिला कल्याण अधिकारी सोनीपत, श्री बलबान सिह, सेवानिवृत जिला कल्याण अधिकारी, फतेहाबाद, श्री विनोद चावला, तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, भिवानी व श्री सुरेश कुमार तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी, भिवानी ने श्री अरविन्द सांगवान पुत्र श्री चान्दी राम, निवासी मकान न0 459, अर्बन अस्टेट-2, हिसार, श्री तेजपाल पुत्र श्री तुलसी राम शर्मा, गांव खरकखुर्द, जिला भिवानी, राजकुमार पुत्र वेदप्रकाश निवासी म0न0 1279/1, बाल्मिकी बस्ती, हनुमान गेट, भिवानी, अशोक कुमार पुत्र जगदीश निवासी नेहरू कलोनी, भिवानी, सुनील कुमार पुत्र कर्मबीर निवासी गांव जेवली, थाना बाढडा, जिला भिवानी के विरूद्व धारा 218, 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120-बी भा0द0स0 व 13(1) सी0 व डी0/13(2)(अपराध होने के समय प्रचलित कानून) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के लिए लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग दर्ज करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिया ईलाका मैजिस्ट्रट व उच्च अधिकारीयो की सेवा मे भिजवाई जाए नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिए श्री विजेन्द्र कुमार उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार के हवाले की जा रही है । SD मनजीत निरीक्षक,थाना राज्य चौकसी ब्यूरो,हिसार मण्डल, हिसार। अज थानाः- लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय आमदा रिकार्ड कुल तीन फाईल बराये तफतीश निजद विजेन्द्र कुमार उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो हिसार के पास भेजी जा रही हैं नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब भिवानी,फतेहाबाद,हिसार,सिरसा वा च.दादरी व पुलिस अधीक्षक भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा वा च.दादरी को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Bijender Singh **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): 23RR **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Balbir Singh

Rank (पद): Sub-Inspector

No. (सं.): 601/H

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1959				**Is Proxitted:** Yes
2	Male	1964				**Is Proxitted:** Yes
3	Male					**Is Proxitted:** Yes
4	Male	1969				**Is Proxitted:** Yes
5	Male	1969				**Is Proxitted:** Yes

6	Male	1969				**Is Proxitted:** Yes
7	Male	1969				**Is Proxitted:** Yes
8	Male	1974				**Is Proxitted:** Yes
9	Male	1974				**Is Proxitted:** Yes
10	Male	1969				**Is Proxitted:** Yes
11	Male	1969				**Is Proxitted:** Yes
12	Male	1974				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	**Teeth (दाँत)**	**Hair (बाल)**	**Eye (आँखें)**	**Habit(s)(आदतें)**	**Dress Habit (s) (पहनावा)**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	**Place of (का स्थान)**					**Others (अन्य)**
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	**Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))**	**Mole (मस्सा)**	**Scar (घाव)**	**Tattoo (गूदे हुए का)**	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)